

भारत सरकार
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र
नाभिकीय पुनःचक्रण बोर्ड
आई एन आर पी(ओ), ईंधन संविचन
तारापुर -401502

ई - निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा सूचना : ना पु स/ई सं/सा/07/ अ/ असैनिक/2026-27/55 दिनांक: 31/08/2026

1. भारत के राष्ट्रपति की ओर से परियोजना निदेशक, ईंधन संविचन सुविधा, आई एन आर पी सी, नाभिकीय पुनःचक्रण बोर्ड, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, तारापुर, घिवली (पोस्ट), पालघर (जिला) - 401502 द्वारा निम्नालिखित कार्यों हेतु उन पात्र ठेकेदारों से दो भागों अर्थात् भाग 'क'- तकनीकी - वाणिज्यिक बोली तथा भाग 'ख'- वित्तीय बोली में ई-निविदाकरण के माध्यम से ऑनलाइन मद-दर निविदा आमंत्रित की जाती है, जिनका नाम सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस, रेल्वे, राज्य पीडब्ल्यूडी, केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के सार्वजनिक उपक्रमों/केंद्रीय स्वायत्त निकायों की अनुमोदित सूची में हो तथा जिन्हें परमाणु ऊर्जा विभाग (पऊवि) में ऐसे महत्वपूर्ण समान कार्य करने का पर्याप्त अनुभव एवं क्षमता हो।
- i) कार्य का नाम ईंधन संविचन सुविधा, आई एन आर पी सी, नाभिकीय पुनःचक्रण बोर्ड, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, तारापुर में डब्लू बी एम मार्ग का निर्माण करना।
- ii) कार्य की अवस्थिति ईंधन संविचन सुविधा, आई एन आर पी सी, नाभिकीय पुनःचक्रण बोर्ड, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, तारापुर।
- iii) अनुमानित लागत ₹ 3,21,26,000/- (रु. तीन करोड़ इक्कीस लाख छबीस हजार मात्र।)
- iv) बोली सुरक्षा घोषणा ₹ 6,42,520 (रु. छः लाख बयालीस हजार पांच सौ बीस मात्र।)
टिप्पणी:-
बयाना राशि मूल रूप में वरियत: बोर्डसर, महाराष्ट्र में देय भुगतान एवं लेखा अधिकारी, प्रिन्सी बी ए आर सी, तारापुर के नाम से जारी किसी अनुसूचित बैंक की सावधि जमा रसीद/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

बयाना राशि का एक भाग बैंक गारंटी के रूप में भी स्वीकार्य है। ऐसे मामलों में बयाना राशिका कम से कम 50% या ₹ 20.00 लाख, जो भी कम हो, उपर्युक्त निर्धारित रूप में होना चाहिए एवं शेष राशि, निविदा भाग 'ए' के परिशिष्ट 'ए' के अनुसार किसी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार की जा सकती है। बैंक गारंटी जमा की गई है।
- v) निविदा दस्तावेज का मूल्य शून्य
- vi) निविदा प्रक्रिया शुल्क शून्य
- vii) समाप्ति की अवधि 03 (तीन) कैलेंडर माह

- viii) निविदा दस्तावेज खरीदने/ डाउनलोड करने के लिए तारीखें (एक्सेल फॉर्मेट) <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> वेबसाइट पर दिनांक 31/08/2026(18.00 बजे) से निविदा प्रस्तुतिकरण के अंतिम दिन तथा समय तक। विस्तृत एनआईटी केवल देखने के लिए वेबसाइट www.barc.gov.in पर भी उपलब्ध है।
- ix) बोली-पूर्व स्पष्टीकरण की तारीख ठेकेदारों से अनुरोध है कि ईमेल द्वारा दिनांक 08/09/2026 तक अपनी बोली-पूर्व सवाल भेज दें। बोली-पूर्व बैठक दिनांक 09/09/2026 को 14:30 बजे ऑन लाइन आयोजित किया जाएगा। बोली-पूर्व स्पष्टीकरण दिनांक 10/09/2026 को <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
- x) निविदाओं के ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण की अंतिम तारीख एवं समय दिनांक 10/09/2026 (10.00 बजे) से 17/09/2026 (14.00 बजे)
- xi) भाग 'क' को ऑनलाइन खोलने की तारीख एवं समय दिनांक 18/09/2026 (15:00 बजे)
- xii) पात्र बोलीकर्ताओं के भाग 'ख' को खोलने की तिथि बाद की तारीख को <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर अधिसूचित किया जाएगा

सूचना, पात्रता मानदंड, शर्तें एवं अनुदेश

सूचना :

2. निविदा दस्तावेज दो भागों अर्थात् भाग 'क' (तकनीकी वाणिज्यिक बोली) एवं भाग 'ख' (वित्तीय बोली) में तैयार किया गया है। भाग 'क' में तकनीकी वाणिज्यिक बोली है यथा : खंड I- ई निविदा आमंत्रण सूचना (अंग्रेजी और हिंदी भाषा में), खंड II- करार का प्रपत्र एवं ठेकेदारों के मार्गदर्शन हेतु सामान्य नियम एवं निदेश , ज्ञापन, खंड III- ठेके की सामान्य शर्तें , अतिरिक्त शर्तें, खंड IV- निविदाकारों को विशेष अनुदेश , खंड V- तकनीकी विनिर्देश, खंड VI- टेंडर ड्राइंग्स की सूची, खंड VII- अनुसूची 'ख' (विभाग द्वारा आपूर्ति की जानेवाली सामग्रियों की अनुसूची), परिशिष्ट 'क'- बोली प्रतिभूति (बैंक गारंटी), परिशिष्ट 'ख'- निष्पादन प्रतिभूति के लिए बीजी बांड का प्रपत्र, परिशिष्ट 'ग' - अग्रिम प्रतिभूति हेतु दस्तावेज, परिशिष्ट 'घ' - वाटर प्रूफिंग हेतु गारंटी बांड, परिशिष्ट 'च' - एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट हेतु गारंटी बांड, अनुलग्नक 'क'- कर्मचारियों एवं मशीनरी का विवरण , अनुलग्नक 'ख'- भवन निर्माण सामग्रियों के अनुमोदित विनिर्माताओं की सूची एवं अनुसूची 'क' से 'ख' का प्रोफार्मा। भाग 'ख' (वित्तीय बोली) में अनुसूची 'ख'- प्रमात्राओं की अनुसूची है।

भावी बोलीकर्ता या सामान्य जन उक्ति दस्तावेजों को वेबसाइट

<https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर उपलब्ध है।
 निःशुल्क देख सकते हैं एवं इसके पीडीएफ फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। विस्तृत एनआईटी केवल देखने के लिए वेबसाइट www.barc.gov.in पर भी उपलब्ध है।

निविदा में भाग लेने के लिए , भावी बोलीकर्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने यूजर आईडी/पासवर्ड एवं क्लाइंट आईडी डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के साथ वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> के होमपेज में लॉग-इन करने के बाद भाग 'क'-तकनीकी वाणिज्यिक शीट वाली तकनीकी वाणिज्यिक बोली , अनुलग्नक क, पूरे किए गए समान कार्यों की सूची एवं हाथ में लिए गए कार्यों की सूची और भाग 'ख'- अनुसूची 'ख' वाली वित्तीय बोली के एक्सेल फॉर्मेट को डाउनलोड करें।

भावी बोलीकर्ताओं को एक्सेनल दस्तावेज देने होंगे और उन्हें पुनः नाम (renaming) दिए बिना इसे अपलोड करना होगा। कृपया निविदा के प्रस्तुतिकरण हेतु हेल्पल मैनुअल रेफर करें अथवा एनआईटी के अनुसार हेल्प डेस्क से संपर्क करें।

वर्णित निविदा बिक्री के दौरान, वर्णित कार्यों के लिए निविदा आरेखों (खंड - VI) का एक सेट केवल निरीक्षण के लिए निविदा आमंत्रण प्राधिकारी के कार्यालय में निविदाकारों को उपलब्ध कराया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो बोलीकर्ता, आरेखों का अध्ययन करने के लिए स्वयं आ सकते हैं और यह वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं होगा। उपरोक्त सभी दस्तावेज सफलता प्राप्त बोलीकर्ता को कार्य प्राप्त हो जाने के बाद करार का एक भाग होंगे।

आरंभिक पात्रता मानदंड:

3. बोलीकर्ता के पास निम्नलिखित होना चाहिए:

- (क) ठेकेदारों के समुचित वर्ग यदि कोई है, में पंजीयन/निवेदित कार्य के लिए - वैध विधुत ठेकेदार अनुज्ञप्ति।
- (ख) निविदा खुलने की तारीख से पूर्व एक वर्ष के भीतर जारी राष्ट्रीयकृत/ अनुसूचित बैंक से कम से कम ₹ 1,28,50,400/- के बैंक ऋण शोधन क्षमता प्रमाणपत्र।
- (ग) दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक वित्तीय टर्नओवर कम से कम ₹ 1,60,63,000/- होना चाहिए। यह एक पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा विधिवत लेखा परीक्षित होना चाहिए।
- (घ) 31 मार्च 2025 को समाप्त पिछले 5 वर्षों के दौरान 2 वर्ष से अधिक में घाटा नहीं हुआ होना चाहिए।
- (च) पिछले 7 वर्षों में किए गए समान कार्यों की सूची।
- (छ) कार्यनिष्पादन प्रमाणपत्र।
- (ज) समय पर कार्य पूरा करने के लिए टेंडरविनिर्देशन ,
सहायक उपकरण और अन्य बुनियादी सुविधाओं के अनुसार निर्माण संयंत्र और मशीनरी, उपकरण,
परीक्षण सुविधाएं।
- (झ) आवश्यक तकनीकी स्टाफ।
- (ट) जीएसटी पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि।
- (ठ) स्थायी खाता सं (पैन) की प्रतिलिपि।
- (ड) ई पी एफ पंजीकरण प्रमाण-पत्र।
- (ढ) विभिन्न क्लायंटों हेतु किए गये कार्य के मूल्य के सबूत हेतु टीडीएस प्रमाण-पत्र।
- (त) सीए से वित्तीय कारोबार का प्रमाण-पत्र, तुलन-पत्र तथा पिछले पांच वर्षों का आईटीआर।
- (थ) ठेकेदार यह घोषणा करेंगे कि उन्हें किसी प्राधिकारी/एजेंसी के द्वारा निविदा करने से रोका नहीं गया है।
- (द) पूर्व माह के अंतिम दिन , जब आवेदन आमंत्रित किया जाता है , को समाप्त होने वाले पिछले सात वर्षों के दौरान सफलता पूर्वक पूर्ण किए गये समान कार्यों का अनुभव ।। निविदा प्रस्तुतिकरण की अंतिम तिथि के पूर्व दिवस तक पूरा किए गये कार्य पर भी विचार किया जाएगा । संयुक्त उद्यम को स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

4. बोलीदाताने कार्यों को संतोषजनक ढंग से पूरा किया (कार्यों के ग्राहक द्वारा प्रदर्शन के प्रमाणन के आधार पर) आवेदन आमंत्रित किये जाने वाले महीने से पूर्व के महीने के अंतिम दिन को समाप्त होने वाले पिछले 7 (सात) वर्षों में

- (क) कम से कम प्रत्येक ₹ 1,28,50,400/- (अनुमानित लागत का 40%) की लागत के इसी प्रकार के 03 (तीन) कार्य या,
- (ख) कम से कम ₹ 1,92,75,600/- (अनुमानित लागत का 60%) की लागत के इसी प्रकार के 02 (दो) कार्य या,
- (ग) कम से कम ₹ 2,57,00,800/- (अनुमानित लागत का 80%) की लागत के इसी प्रकार का 01 (एक) कार्य संतोषजनक रूप से (कार्य के क्लायंट द्वारा निष्पादन प्रमाणपत्र पर आधारित) पूरा किया हो एवं यदि पात्र कार्य केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्र या राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/केंद्रीय स्वायत्त निकाय में पूरा न किया गया हो, तब बोलीकर्ता द्वारा इसके लिए टीडीएस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5. इस प्रयोजन हेतु "कार्य की लागत" का तात्पर्य है पूरे हुए कार्य की सकल लागत जिसमें सरकार/क्लायंट द्वारा आपूर्ति की गयी सामग्रियों की लागत शामिल हैं, लेकिन इसमें निःशुल्क आपूर्ति की गयी सामग्री शामिल नहीं होगी। समरूपकार्य का तात्पर्य है "मार्ग का निर्माण"केसमान कार्य।
6. निष्पादित कार्य के मूल्य को 7% प्रति वर्ष की सामान्य दर पर कार्य की वास्तविक मूल्य में वृद्धि करते हुए वर्तमान लागत स्तर तक लाया जाएगा जिसका परिकलन पूर्णता की तारीख से निविदा कागजात के क्रय/डाउनलोड करने के लिए अनुरोध की आखिरी तारीख तक किया जाएगा।
7. ठेकेदार की बोली लगाने की क्षमता कार्य के अनुमानित कीमत के बराबर अथवा उससे अधिक होना चाहिए। बोली लगाने की क्षमता को निम्नलिखित सूत्र द्वारा तय किया जायेगा।

$$\text{बोली लगाने की क्षमता} = (A \times N \times 2) - B$$

जहाँ,

A = पूरा किये गये तथा जारी कार्य को ध्यान में रखते हुए पिछले 5 वर्षों के दौरान किसी एक वर्ष में किये गये कार्य में अधिकतम टर्नओवर। पूरा किये गये कार्य के मूल्य को 7% प्रतिवर्ष की सामान्य दर पर वृद्धि करते हुए वर्तमान लागत स्तर तक लाया जाएगा।

B = कार्य, जिसके लिए निविदा आमंत्रित की गई है, की पूर्णता हेतु निर्धारित किये गये वर्षों की संख्या।

C = कार्य, जिसके लिए निविदा आमंत्रित की गई है, की पूर्णता की अवधि के दौरान चल रहे कार्यों को पूरा किया जाना तथा वर्तमान प्रतिबद्धताएं।

8. यद्यपि कोई बोलीकर्ता उपरोक्त आवश्यकता को पूरा कर सकता है वह अयोग्य माना जाएगा यदि उसने:
 - भ्रमात्मक अथवा झूठा अभ्यावेदन किया है अथवा फार्मों, कथनों तथा योग्यता मानदंड कागजात में अपेक्षित परिशिष्टों में दी गई सूचना को जानबूझकर छिपाया है।
 - वित्तीय असफलता/कमजोरी इत्यादि अथवा ठेके को ठीक से न पूरा करने, कार्य को छोड़ देने जैसे खराब कार्यनिष्पादन का रिकार्ड रखता है।
9. बोलीकर्ता भारत में एक पंजीकृत फर्म होना चाहिए।

शर्तें :

10. निविदा के भाग 'क' (तकनीकी वाणिज्यिक बोली) के खुलने के पश्चात, मुख्य अभियंता द्वारा एक निरीक्षण दल गठित किया जाएगा जिसके द्वारा निम्नलिखित आधार पर निविदाकारों के चयनित चालू कार्य क्षेत्रों/संपूर्ण किये गये कार्यों का निरीक्षण किया जायेगा ताकि निविदाकारों की क्षमता का मूल्यांकन किया जा सके :-
 - क) वित्तीय क्षमता एवं पिछले 5 वर्षों के दौरान उनका टर्नओवर।
 - ख) संबंधित कार्य के संदर्भ में कंपनी की तकनीकी क्षमताएं।
 - ग) पिछले 7 वर्षों के दौरान निविदाकार द्वारा निष्पादित कार्यों का स्वरूप।
 - घ) कंपनी की संगठनात्मक संरचना।
 - च) कंपनी द्वारा संबंधित कार्य करने हेतु अपेक्षित आवश्यक संसाधन।
 - छ) समय एवं गुणवत्ता की सजगता।
 - ज) असंगत दावे एवं विवाद करने की कंपनी की प्रवृत्ति।
 - झ) क्षेत्र नियोजन क्षमता।
 - ट) कंपनी की कार्य को बैंक टू बैंक/उप किरायेदारी पर सौंपने की प्रवृत्ति।

अर्हता मानदंड से संबंधित कागजातों का मूल्यांकन : इसे एनआईटी में संदर्भित योग्यता मानदंड पर आधारित वित्तीय बोली को खोलने से पहले केंद्रीय लोक निर्माण विभाग नियम -2014 पुस्तक के परिशिष्ट -20 अनुलग्नक -1 के अनुसार किया जाएगा।

निविदाओं का वित्तीय मूल्यांकन : वित्तीय बोली को खोलने की तिथि उन ठेकेदारों को सूचित की जाएगी जिनके भाग- क (अर्हता मानदंड से संबंधित कागजात) को विभाग संतोषजनक पाएगा तथा ऐसे ही ठेकेदारों के भाग - ख (वित्तीय बोली) को खोलने की अनुमति दी जाएगी।

कार्य की अनुमानित लागत केवल लगभग है एवं ठेकेदार को विस्तृत तौर पर वास्तविक दरों का परिकलन करना होगा।

11. निविदाकर्ता को निम्नानुसार पब्लिक नोटरी द्वारा प्रमाणित ₹100/- के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा :

“मैं/हम वचन देता हूँ/देते हैं तथा यह निश्चित करता हूँ /करते हैं की योग्य समान कार्य बैंक-टू-बैंक आधार पर किसी अन्य ठेकेदार द्वारा नहीं करवाया गया है। आगे, यदि ऐसा उल्लंघन विभाग के ध्यान में आता है, तब मैं/हम हमेशा-हमेशा के लिए भविष्य में एनआरबी, भापअ केंद्र में निविदा करने के लिए डिबार हो जाऊंगा /जाएंगे। यह भी, यदि ऐसा उल्लंघन कार्य शुरू करने की तिथि से पहले विभाग के ध्यान में आता है , प्रभारी अभियंता जमाबयाना/कार्यनिष्पादन गारंटी की संपूर्ण रकम को जब्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे।”

12. निविदा भाग 'क' खुलने के बाद निविदा में किसी प्रकार के संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी।

13. किसी शर्त या सशर्त छूट वाली निविदाओं को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। फिर भी जिन निविदाओं में बिना किसी शर्त के छूट दी गई हो उन्हें स्वीकार किया जाएगा।

14. यदि आवेदक द्वारा दी गई कोई भी सूचना बाद में गलत पाई जाती है तो उन्हें भापअ केंद्र में भविष्य में हमेशा के लिए निविदाकरण/कोई भी कार्य करने से रोक दिया जाएगा। यदि कार्य शुरू करने से पहले भी किसी भी उल्लंघन की सूचना, विभाग को प्राप्त होती है तो प्रभारी अभियंता, ईएमडी/निष्पादन गारंटी को पूर्ण रूप से जब्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

15. कार्य को पूरा करने की अवधि की गणना कार्य शुरू करने के लिए लिखित आदेश मिलने के 15वें दिन या कार्य शुरू होने के वास्तविक दिन जो भी पहले हो, से की जाएगी।

16. निविदा को निविदाओं के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण के बंद होने के अंतिम तारीख से 120(एक सौ बीस) दिनों तक वैध रखा जाएगा।

17. यदि निविदा प्रक्रिया शुल्क एवं ईएमडी के लिए मूल दस्तावेज प्राप्त करने की तथा निविदा खुलने की अंतिम तारीख को छुट्टी घोषित की जाती है तो उक्त तारीख को तदनुसार आगे के कार्य दिवस तक स्थगित माना जाएगा।

- 18.. अनुलग्नक 'बी'
प्रारूप के अनुसार बोली सुरक्षा घोषणा सार्वजनिक नोटरी द्वारा सत्यापित की जाएगी। संभावित विक्रेता को इसकी स्कैन कॉपी अपलोड करनी चाहिए। मूल प्रति अधीक्षक अनुरक्षण, एफएफ, आईएनआरपी (ओ), एनआरबी, बीएआरसी (टी) के कार्यालय में जमा किया जाएगा। पार्ट-बी खोलने से पहले, ऐसा करने पर निविदा रद्द कर दी जाएगी।

19. प्रतिभूति जमा की वसूली, ठेकेदार के चालू बिल की कुल राशि के 2.5% की दर से तब तक की जाएगी जब तक कि वसूली गई कुल राशि , कार्य के निविदाकृत मूल्य के 2.5% के बराबर न हो जाए। प्रतिभूति जमा किसी अनुसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक/ सावधि जमा के रूप में भी स्वीकार की जाएगी।

20. इसके अतिरिक्त ठेकेदार को कार्य आदेश जारी किए जाने की तिथि से 15 दिन के अंदर अथवा कार्य प्रारंभ करने से पहले, जो भी पहले हो, निविदा मूल्य के **5%** की समतुल्य राशि को निष्पादन प्रतिभूति के रूप में जमा करना होगा।
21. यदि सफल निविदाकार कार्य आदेश जारी होने की तिथि से **15** दिनों के भीतर या कार्य शुरू होने से पहले, जो भी पहले हो, निर्धारित प्रदर्शन गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो अनुबंध के लिखित अनुरोध पर अधिकतम अवधि के लिए **1** से लेकर **1** तक बढ़ाया जा सकता है। **15** दिनों के लिए विलंब शुल्क **@ 0.1%** प्रति दिन प्रदर्शन गारंटी राशि के साथ विभाग (बीएआरसी) किसी भी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऊपर दिए गए नोट **1** (iv) में निर्दिष्ट समय के लिए बोल ली जानेवाले को निलंबित करने के लिए स्वतंत्र होगा।
22. निविदा की स्वीकृति विभाग के पास सुरक्षित है जो सबसे कम मूल्य की निविदा को स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है एवं इसके पास किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार है। वे सभी निविदाएं, जिनमें निर्धारित शर्तें पूरी न की गयी हों अथवा जो किसी भी दृष्टि से अपूर्ण होंगी उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
23. निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार की सिफारिश करना सख्त मना है , जो ठेकेदार सिफारिश करेगा उसकी निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी।
24. विभाग समस्त निविदा अथवा निविदा के किसी भाग को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं निविदाकार अपने द्वारा दी गयी दर पर कार्य करने के लिए बाध्य है।
25. i) कोट किये गये दर में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) शामिल होगा तथा ठेकेदार द्वारा देय होगा एवं बीएआरसी इस संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगी। ठेकेदार को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए तथा कार्य पर वर्तमान आदेश के अनुसार लागू जीएसटी ठेकेदार द्वारा संबंधित कर प्राधिकारियों को भुगतान किया जाएगा।
 ii) श्रम कल्याण उपकर, यदि लागू हो, की ठेकेदार को भुगतान किये गये प्रत्येक बिल से वसूल की जाएगी।
 iii) आयकर तथा जीएसटी, जैसा लागू हो, ठेकेदार को भुगतान किये गये प्रत्येक बिल से काटा जाएगा।
 iv) सभी मजदूरों को लागू न्यूनतम मजदूरी देनी होगी।
 v) ठेकेदार को कानून के अनुसार ईपीएफ एवं ईएसआईसी के अधीन पंजीकृत होना चाहिए ठेकेदार को संबंधित विभाग को नियमानुसार ठेकेदार एवं ठेका कर्मियों के ईपीएफ एवं ईएसआईसी अंश का भुगतान करना होगा। ईपीएफ एवं ईएसआईसी की प्रतिपूर्ति (केवल ठेकेदार के अंश की) उनको विभाग द्वारा इस तथ्य से संतुष्ट होने के बाद की जाएगी कि इसे वास्तविक एवं असली रूप में ठेकेदार द्वारा अदा किया गया है। निविदा भरते समय ठेकेदार को ईपीएफ एवं ईएसआईसी अंश का मूल्य नहीं लेना है।
26. जिन सफल बोलीकर्ता की निविदा स्वीकार की जाती है उन्हें बीएआरसी के अंदर काम करने वाले अपने सभी कर्मिकों जैसे: इंजीनियरों, पर्यवेक्षकों एवं मजदूरों का अपने खर्च पर पुलिस की विशिष्ट शाखा द्वारा जारी पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र (पीवीसी) प्राप्त करना आवश्यक होगा।

सुरक्षा जांच के बाद यदि ठेकेदार/कंपनी/फर्म/प्रोपराइटर और/अथवा उसके ठेके के कर्मिकों के विरुद्ध कोई प्रतिकूल चार्टर तथा पूर्ववृत्ति की अभ्युक्ति/अधिसूचना प्राप्त होती है तो भापअ केंद्र , बिना कोई कारण बताए/बिना 'कारण बताओ सूचना' जारी किए तुरंत ठेके को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसी परिस्थिति में ठेकेदार के पास यह अधिकार नहीं होगा कि भापअ केंद्र द्वारा की गई उपरोक्त कार्यवाई के परिणामस्वरूप यदि उसका कोई नुकसान/देयता हो तो उसकी भरपाई के लिए वह दावा करे। पञ्चवि/भापअ केंद्र

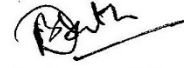
द्वारा समय-समय पर जारी सुरक्षा अनुदेश का पालन ठेकेदार द्वारा नहीं करने पर भापअ केंद्र के पास यह अधिकार होगा कि वह सरकार के पास जमा निष्पादन प्रतिभूति और/अथवा प्रतिभूति जमा आंशिक अथवा पूर्ण रूप से जब्त कर ले।

अनुदेश :

27. ठेकेदार <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> के साथ पंजीकृत होना चाहिए। जो ठेकेदार ऊपर उल्लेखित वेबसाइट पर पंजीकृत नहीं होंगे, उन्हें पंजीकृत होना जरूरी है। यदि आवश्यक हो, वेबसाइट पर उपलब्ध व्योरे के अनुसार, उन्हें ऑनलाइन बोली प्रक्रिया के लिए प्रशिक्षण दिया जा सकता है।
28. उपरोक्त उल्लिखित समय तथा तारीख तक निविदाएं ऑनलाइन प्राप्त हो जानी चाहिए। उपरोक्त उल्लिखित समय एवं तारीख पर भाग 'क' खोली जाएगी। सर्वप्रथम निविदा दस्तारवेज का मूल्यानिविदा प्रक्रिया शुल्क की रसीद एवं ईएमडी की जांच की जाएगी। यदि इन्हें सही पाया गया तो भाग 'क' खोला जाएगा। भाग 'क' खोलने के पश्चात, मूल्यांकन के लिए ठेकेदार के जारी / पूर्ण किए गए कार्य क्षेत्र एवं कार्यालय का निरीक्षण किया जाएगा और उनके दस्तावेजों से संबंधित तकनीकी वाणिज्यिक बोली का मूल्यांकन किया जाएगा और तदनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निविदाकारों को योग्य/अयोग्य घोषित किया जाएगा। तब योग्यता प्राप्त सफल निविदाकारों की निविदा के भाग 'ख' (वित्तीय बोली) को अधिसूचित तारीख एवं समय पर खोला जाएगा। भाग 'ख' (वित्तीय बोली) खुलने की तारीख की सूचना सभी बोलीकर्ताओं को ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी।
29. निविदा खुलने की तारीख के दिन, ठेकेदार लॉग इन करके बोली खुलने के बाद उसकी स्थिति देख सकते हैं।
30. ठेकेदार प्रत्येक मद की दर कोट करना सुनिश्चित करें। अंकों में दर कोट करने वाला कॉलम पीले रंग का लगता है तथा जैसे दर की प्रविष्टि की जाती है, यह आसमानी रंग का हो जाता है। इसके अतिरिक्त, कोई भी सेल चुनते (सिलेक्ट) समय एक चेतावनी दिखाई देगी कि यदि कोई सेल खाली छोड़ा जाता है तो उसे " 0" (शून्य) समझा जाएगा। इसलिए यदि कोई सेल खाली छोड़ा जाता है और बोलीकर्ता कोई दर कोट नहीं करता है तो उस मद की दर "0" (शून्य) समझी जाएगी।
31. मूल प्रति से स्कैन किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची जिन्हें बोलीकर्ता द्वारा बोली प्रस्तुतीकरण की अवधि के भीतर अपलोड करना है:-
 - (i) चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित वित्तीय कारोबार।
 - (ii) चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित लाभ एवं हानि विवरण।
 - (iii) नवीनतम बैंक ऋण शोधन क्षमता प्रमाणपत्र।
 - (iv) निर्माण संयंत्र एवं मशीनरी की सूची।
 - (v) तकनीकी कर्मचारियों की सूची।
 - (vi) प्रमाणपत्र:
 - क. पंजीयन प्रमाणपत्र, यदि कोई हो तो। निवेदित कार्य के लिए - वैध विधुत ठेकेदार अनुज्ञप्ति।
 - ख. कार्य अनुभव प्रमाणपत्र / निष्पादन प्रमाण-पत्र।
 - ग. जीएसटी के लिए पंजीयन प्रमाणपत्र।
 - घ. टिन पंजीयन प्रमाणपत्र।
 - च. पैन (स्थायी खाता संख्या) पंजीयन
 - छ. ई पी एफ पंजीकरण प्रमाण-पत्र
 - (vii) बयाना जमा के लिए किसी अनुसूचित बैंक का एफडीआर/डीडी/पीओ/बीसी।
 - (viii) यह वचन (अंडरटेकिंग) कि इसी प्रकार का कार्य बैंक टू बैंक आधार पर दूसरे ठेकेदार के माध्यम से निष्पादित नहीं कराया गया है।
 - (ix) भाग क: खंड II तथा ठेके की सामान्य शर्तों के खंड 11 के अनुसार वचन (अंडरटेकिंग)।
 - (x) वैध विधुत ठेकेदार अनुज्ञप्ति, यदि सम्मूह है।
 - (xi) यह वचन कि उन्हें किसी प्राधिकारी/एजेंसी के द्वारा निविदा करने से रोका नहीं गया है।

टिप्पणी:

1. पंजीकृत ठेकेदार केवल अपेक्षित शुल्क का भुगतान करने के बाद ही निविदाएं खरीद/डाउनलोड और जमा/अपलोड कर सकते हैं।
2. इच्छुक एजेंसियां पंजीकरण के लिए वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर जा सकती हैं।
3. संपर्क या सहायता/स्पष्टीकरण (02525) 290391, 290330, 290349, फैक्स: (022525) 244913
4. पंजीकरण और ई-निविदा में भागीदारी के लिए सहायता के लिए संपर्क करें:
a) श्री भूषण कुमार और श्री मयूर जाधव दूरभाष नं। 022-25487480
बी) किसी भी तकनीकी संबंधित प्रश्न के लिए कृपया 24 x 7 हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल करें
१) 0120-4001002
2) 0120-4001 005
3) 0120-6277 787
5. साइट विज़िट/स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध भेजने के लिए ई मेल आई डी सेवामें: nksinha@barc.gov.in, ppurohit@barc.gov.in
यदि एन आई टी के अंग्रेजी एवं हिंदी पाठ के बीच कोई अंतर हो तो अंग्रेजी पाठ को सही माना जाए।



परियोजना निदेशक,
ईंधन संविरचन सुविधा,
ई.सं.सु., ए.ना.पु.सं).प(.
ना.पु.बो., भा.प.अ.के.,तारापुर
(भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से)